न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2021/238 (Bank Case)
Manual no- 103/2021

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय– एम्बीशन टॉवर, ऑफिस नंबर–307–312, थर्ड फलोर, अग्रसेन सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है। जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जंगशेर खान।
– प्रार्थी

बनाम

1. श्री महेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री अर्जुन सिंह **(ऋणी / बंधककर्ता)**
पताः मैसर्स चौधरी ट्रेक्टर पार्ट्स, 12/3, न्यू मोटर मार्केट, कोटा (राज.) 324007 एवं 1–बी–9, रंगबाडी योजना, सेक्टर–1, पावर हाउस के पास, आवास विकास कालोनी, दादाबाडी, कोटा (राज.) 324005
2. श्रीमती शशी प्रभा चौधरी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह चौधरी **(सह–ऋणी)**
पताः 1–बी–9, रंगबाडी योजना, सेक्टर–1, पावर हाउस के पास, आवास विकास कालोनी, दादाबाडी, कोटा (राज.) 324005
– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री एल.एस. राजपूत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 20.10.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय– एम्बीशन टॉवर, ऑफिस नंबर–307–312, थर्ड फलोर, अग्रसेन सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 31.08.2019 को 20,13,328/–(अक्षरेः रूपये बीस लाख तेरह हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति जो कि मं. नं./फ्लेट नं. 1–बी–9, रंगबाडी योजना, जिला–कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका माप लगभग 90 वर्गमीटर है। चतुःसीमा पूर्व में– 1–बी–26, पश्चिम में– रोड, उत्तर में–1–बी–8 , दक्षिण में–1–बी–10 है** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 03.01.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रूपये 20,31,077/–रूपये (अक्षरेः– बीस लाख इकत्तीस हजार सत्तर रूपये मात्र।) दिंनाक 09.01.2020 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 29.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में ''कंचन केसरी'' व अंग्रेजी में ''बिजनेस स्टेडर्ड'' में दिनांक 08.01.2021 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वाराThe Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया । अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को दिनांक 29.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में ''कंचन केसरी'' व अंग्रेजी में ''बिजनेस स्टेडर्ड'' में दिनांक 08.01.2021 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 29.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में ''कंचन केसरी'' व अंग्रेजी में ''बिजनेस स्टेडर्ड'' में दिनांक 08.01.2021 को प्रकाशित करवाया गया, इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति जो कि मं. नं./फ्लेट नं. 1–बी–9, रंगबाडी योजना, जिला–कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका माप लगभग 90 वर्गमीटर है। चतुःसीमा पूर्व में– 1–बी–26, पश्चिम में– रोड, उत्तर में–1–बी–8 , दक्षिण में–1–बी–10 है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहरी) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा